

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09122021-231726
SG-DL-E-09122021-231726असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]	दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 294
No. 367]	DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943	[N. C. T. D. No. 294

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवाएँ विभाग (III)

अधिसूचना

दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021

फा0 सं0 16 (3)(एफ)/डीएसएसएसबी/2017-एस.III/2594.- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, में (मल्टी टास्किंग स्टाफ) नियमावली, 2017 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (1) इन नियमों को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (मल्टी टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जायेगा।
2. **अनुसूची का संशोधन :-**
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में कॉलम सं0 6 के समक्ष, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

कॉलम सं० 6 (सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा)	18-25 वर्ष के बीच भर्ती डीएसएसएसबी या किसी अन्य समान भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जाती है तो उस स्थिति में आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच। टीप-1 : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी। टीप-2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती के संबंध में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि रोजगार कार्यालय द्वारा नाम जमा करने की अंतिम तिथि तक होगी।
--	--

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
भैरब दत्त, उप-सचिव (सेवाएं)

SERVICES DEPARTMENT (BRANCH-III)

NOTIFICATION

Delhi, the 8th November, 2021

F. No. 16(3)(f)/DSSSB/2017-S.III/2594.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No.F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules to amend the Delhi Subordinate Services Selection Board (multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2017, namely:

1. Short title and commencement-

- (1) These rules may be called Delhi Subordinate Services Selection Board (Multi Tasking Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Schedule-

In the Schedule to the said notification against column no. 6, the following shall be substituted, namely:-

Col. No. 6 (Age limit for direct recruits)	Between 18-25 years. Between 18-27 years in the case of recruitment made through DSSSB or any other similar recruitment agencies. Note- 1: the crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority. Note-2: in the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.
--	--

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
BHAIRAB DUTT, Dy. Secy. (Services)